

# नगर पालिका, कुशलगढ

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)



## अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/KUSHAL GARH/FIRENOC/2025-26/64851  
जारी दिनांक: 09-FEB-2026 वैधता दिनांक: 08-FEB-2028

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: REKHA DANTLA  
आवेदक का पता: VILLAGE DUNGRA BADA TEHSIL SAJJANGARH DISTRICT BANSWARA

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन YOGESHWARI JANHITAY SEVAYTAN SANSTHAN SAJJANGARH, 00, N H 56, AMLIPADA SAJJANGARH, BANSWARA, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह अस्थायी (Temporary) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:-

1. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
2. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
3. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
4. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथी से 1 वर्ष के भितर भवन मे लगे अग्निशमन उपकरणो का टेस्टिंग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
5. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
6. भवन के समस्त स्टाफ व सिविलोरेटी गार्डस को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
7. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
8. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतू यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
9. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रूफटॉप रेस्टोरेट के लिए मान्य नहीं हैं। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहा पर रूफटॉप रेस्टोरेट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
10. भवन के अंदर कि भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
11. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इफायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
12. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
13. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
14. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने कि स्थिति में यह अभिशांषा पत्र निरस्त माना जाएगा।



Signed by: Prabhu Lal Bhabor  
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner  
Location: KUSHAL GARH, Rajasthan  
Date: 09/02/2026 12:32:31

अग्निशमन अधिकारी  
नगर पालिका, कुशलगढ